

## सर्वोच्च न्यायालय ने SLP नपिटान को प्राथमिकता दी

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

**सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने विशेष अनुमत्याचिकाओं (Special Leave Petitions- SLP) के मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष दायर होने वाले मामलों के भारी बोझ को कम करना है, साथ ही लंबित मामलों की संख्या को भी कम करना है।

- दिसंबर 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय में 82,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जसिने **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)** को ऐसी रणनीतियों को लागू करने के लिये प्रेरित किया है।


### विशेष अनुमत्याचिका (SLP) क्या है?

- परिचय:**
  - SLP एक **विवेकाधीन अपील तंत्र** है ( **भारतीय संविधान** का **अनुच्छेद 136** ) जो **सर्वोच्च न्यायालय** को किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के नरिणयों, डकिरी या आदेशों के **वरिद्ध अपील** सुनने की अनुमति देता है।
  - यह **सशसत्र बल न्यायाधिकरणों** पर लागू नहीं है।
- उत्पत्ति:**
  - "विशेष अनुमति" की अवधारणा **भारत सरकार अधिनियम, 1935** से ली गई है, जसिमें **अपील के लिये विशेष अनुमति प्रदान करने के विशेषाधिकार** को मान्यता दी गई थी।
- प्रमुख विशेषताएँ:**
  - यह **सविलि और आपराधिक** दोनों मामलों पर लागू है।
  - इसका प्रयोग आमतौर पर **कानून के महत्त्वपूर्ण प्रश्नों** या **न्याय की वफिलता** से संबंधित मामलों में किया जाता है।
  - यह सर्वोच्च न्यायालय का **असाधारण अधिकार क्षेत्र** है, जो उसे ऐसे मामलों में भी सुनवाई करने में **सक्षम बनाता है, जहाँ अपील का कोई प्रत्यक्ष अधिकार मौजूद नहीं है।**
  - यह **पूरणतः सर्वोच्च न्यायालय के विवेक पर दिया जाता है**, जो बनिा कारण बताए छुट्टी देने से इनकार कर सकता है।
  - जब सर्वोच्च न्यायालय विशेष अनुमत्याचिका मंजूर करता है, तो वह एक **औपचारिक अपील में परिवर्तित** हो जाती है, जसिसे मामले की वसितृत जाँच हो जाती है और अंतमि फैसला सुनाए जाने से पहले दोनों पक्षों को अपनी दलीलें प्रस्तुत करने का अवसर मलि जाता है।
- पात्रता:**
  - सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये **उपयुक्तता प्रमाणपत्र** देने से इनकार कर दिया गया है।
    - इसमें वधि** या अन्याय के **महत्त्वपूर्ण प्रश्न** शामिल हैं।
    - कोई भी पीडलि पक्ष **उच्च न्यायालय** या न्यायाधिकरण के नरिणय या आदेश के वरिद्ध SLP दायर कर सकता है, विशेष रूप से जहाँ:
- SLP दायर करने की समय सीमा:**
  - उच्च न्यायालय के नरिणय की तथिसे **90 दिनों** के भीतर SLP दायर की जा सकती है।
  - यदि उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिये **उपयुक्तता प्रमाणपत्र** देने से इनकार कर देता है, तो SLP ऐसे इनकार की तारीख से **60 दिनों के भीतर** दायर की जानी चाहिये।

**SLP दायर करने की प्रक्रिया:**

//

## Special Leave Petition Process



## सर्वोच्च न्यायालय के मामलों से संबंधित SLP क्या हैं?

- **1972** में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 136 के तहत अपील के दौरान, न्यायालय कार्यवाही में तेज़ी लाने, पक्षों के अधिकारों की रक्षा करने और न्याय के हितों को बनाए रखने के लिये घटनाक्रमों पर विचार कर सकता है।
- **2000** में सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय दया कि SLP मंजूर करने से इनकार करना उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार लागू नहीं होता है।
  - यह वविकाधिकार सुनिश्चित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल न्यायिक जाँच की आवश्यकता वाले मामलों में ही हस्तक्षेप करेगा।
- **1950** में, इस बात पर जोर दिया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 136 के तहत अपनी शक्तियों का संयम से प्रयोग करना चाहिये, केवल असाधारण मामलों में ही उच्च न्यायालय के नरिणयों में हस्तक्षेप करना चाहिये।
  - एक बार अपील स्वीकार हो जाने पर, अपीलकर्त्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए किसी भी गलत कानूनी नरिणय को चुनौती दे सकता है।
- **2007** में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 136 एक साधारण अपीलीय फोरम की स्थापना नहीं करता है, बल्कि वादियों को अपील का अधिकार प्रदान करने के बजाय, न्याय सुनिश्चित करने के लिये हस्तक्षेप करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक वविकाधीन शक्तियों प्रदान करता है।
  - अवविकपूर्ण तरीके से SLP दायर करना अनुच्छेद 136 के उद्देश्य के वरिद्ध है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा के वगित वर्ष के प्रश्न

### 1999-2000:

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानवित्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने नरिणय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्ति है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/कौन-से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/sc-prioritising-slps-disposal>

